“दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन” निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रेस ब्रीफ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) विधान मंडल के पटल पर रखने के लिए अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं | तदनुसार, राजस्थान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा की रिपोर्ट (राजस्थान सरकार) को दिनांक 19.07.2023 को राज्य विधान मंडल के पटल पर रखा गया है । प्रक्रिया के अनुसार, सीएजी की रिपोर्ट राज्य विधान मंडल की जन लेखा समिति को संदर्भित की जाती है ।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा को करने का उद्देश्य

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज को अनिवार्य करता है । भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिये बाध्य करता है ।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (दिअअधि), 2016 जो अप्रैल 2017 से लागू हुआ, ने मौजूदा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1995, को प्रतिस्थापित किया ।

2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में 15.64 लाख दिव्यांग व्यक्ति थे, जो राज्य की कुल जनसंख्या (6.85 करोड़) का 2.28 प्रतिशत था । राजस्थान में दिव्यांगजनों की छठी सबसे बड़ी आबादी थी, जो देश में कुल दिव्यांगजनों का 5.83 प्रतिशत थी ।

'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन' की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई कि क्या राजस्थान सरकार ने विशेष योग्यजनों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं । निष्पादन लेखापरीक्षा में अप्रैल 2016 से मार्च 2021 की पाँच वर्ष की अवधि को सम्मिलित किया गया था |

लेखापरीक्षा ने निदेशक-सह-विशिष्ट शासन सचिव, विशेष योग्यजन के कार्यालय के साथ-साथ राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन के कार्यालय, जिला स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आठ उप निदेशक/सहायक निदेशक कार्यालयों, और खण्ड स्तर पर 16 ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालयों को सम्मलित किया था । इसके आगे, राजकीय मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली (जयपुर), आठ चयनित जिलों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित आठ मानसिक विमंदित गृह, 11 आवासीय/गैर आवासीय विद्यालय, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के तहत पांच विशेष स्कूल, एक जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र, दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता/उपकरणों की खरीद/फिटिंग (एडीआईपी) के तहत तीन केन्द्रों को भी चयनित किया गया था |

मुख्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जो कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं का आधार बनी निम्न प्रकार हैंः-

अध्याय-II: अधिकार और हक़दारी

राजस्थान राज्य विशेष योग्यजन नीति, 2012 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद भी संशोधित नहीं किया गया था । राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 को एक वर्ष और आठ महीने से अधिक की देरी से लागू किया गया था । विभागों द्वारा विशेष योग्यजनों को आरक्षण पर्याप्त रूप से प्रदान नहीं किया गया था और विशेष योग्यजन कर्मचारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के लागू होने

के बाद चार साल से अधिक समय से पदोन्नति में आरक्षण से वंचित थे । राज्य सरकार द्वारा समान अवसर नीति को भी अनुमोदित किया जाना है ।

राज्य आयुक्त के पास पीड़ित विशेष योग्यजनों से प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं था । अधिनियम के कार्यान्वयन के चार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी राज्य में राज्य सलाहकार बोर्ड, दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए राज्य समिति, राज्य निधि एवं मूल्यांकन बोर्ड के गठन नहीं होने से संबंधित मामले अधिनियम में परिकल्पित संस्थागत तंत्र की स्थापना में गंभीर कमियों को इंगित करते है ।

अनुशंसाएँ

1. राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए नौकरियों और पदोन्नति में आरक्षण किया जाए ।

2. राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समान अवसर नीति को शीघ्र अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है ।

3. राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिनियम में परिकल्पित संस्थागत तंत्र स्थापित कर सकती है ।

अध्याय-III: सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास

सामाजिक सुरक्षा के तहत विशेष योग्यजनों का अपर्याप्त कवरेज इस तथ्य से स्पष्ट था कि 15.64 लाख में से केवल 5.77 लाख (36.89 प्रतिशत) विशेष योग्यजनों को दिव्यांगता पेंशन प्रदान की जा रही थी । इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जोड़े गए विशेष योग्यजनों की 14 श्रेणियों को अत्यधिक देरी से पेंशन का लाभ दिया गया था ।

राज्य में बौद्धिक अक्षमताओं वाले विशेष योग्यजनों के लिए मानसिक विमंदित गृह पर्याप्त नहीं थे और मौजूदा मानसिक विमंदित गृह कर्मचारियों और सुविधाओं की कमी से ग्रस्त थे ।

विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना और संयुक्त सहायता अनुदान योजना के तहत आय प्रमाण-पत्र, विवाह कार्ड, मूलनिवास, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और अंग एवं उपकरणों की प्राप्ति जैसे आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना विशेष योग्यजनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई | इसके अलावा, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत पूर्ण ऋण के वास्तविक संवितरण को सुनिश्चित किए बिना अनुदान जारी किया गया था और अपात्र व्यक्तियों को अनुदान का अनियमित वितरण किया गया था |

निदेशालय, विशेष योग्यजन ने समय-समय पर दिव्यांगजनों के सभी कार्यक्रमों और योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया ।

आठ नमूना जांच किए गए जिलों में, कई सरकारी भवन विशेष योग्यजनों के लिए पूरी तरह से सुलभ नहीं थे क्योंकि रैम्प, रेलिंग और सुलभ शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया था ।

अनुशंसाएँ

4. राज्य सरकार पर्याप्त संख्या में सरकारी/ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृह स्थापित कर सकती है और निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकती है |

5. राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि विशेष योग्यजन के लिए निर्धारित लाभों का अपात्र व्यक्तियों को विचलन न हो | अपात्र व्यक्ति को लाभ के विचलन के लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती हैं |

6. राज्य सरकार समय-समय पर सामाजिक अंकेक्षण कर सकती है जिससे उन्हें प्रगति की निगरानी करने के साथ-साथ विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार करने में मदद मिलेगी |

अध्याय-IV: दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना और विशेष योग्यजनों का कल्याण

दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों को जारी करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ क्योंकि 9.85 लाख आवेदनों में से 31 प्रतिशत एक वर्ष से अधिक समय से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्तरों पर लम्बित थे । सवाईमाधोपुर और उदयपुर जिलों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी थी ।

विशेष योग्यजन साक्षरता दर (40.16 प्रतिशत) में राजस्थान नीचे से दूसरे स्थान (35 में से 34 वां स्थान) पर था | स्कूली शिक्षा के लिए नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 2016-17 में 1.07 लाख से घटकर 2020-21 में 0.75 लाख हो गए, जो 30 प्रतिशत की कमी है । आवश्यक मानव संसाधन की कमी थी जैसे राजकीय विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के पद (38.10 प्रतिशत) तथा संसाधन केन्द्रों पर 357 संसाधन व्यक्तियों के पद (56.22 प्रतिशत) रिक्त थे । गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालयों में विशेष योग्यजनों के लिए स्पीच थेरेपिस्ट/ ऑडियोलॉजिस्ट/ फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति नहीं पाई गई ।

निदेशालय, विशेष योग्यजन ने गैर सरकारी संगठन के नए पंजीयन और प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण स्वीकृत करने में अत्यधिक समय लिया ।

अनुशंसाएँ

7. राज्य सरकार दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विशेष योग्यजनों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चला सकती है और आवेदनों के निस्तारण के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा के संबंध में मानदंड निर्धारित कर सकती है |

8. राज्य सरकार राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर सकती है ।

9. राज्य सरकार गैर सरकारी संगठनों का समय पर पंजीयन स्वीकृत करने और उनके नवीनीकरण के माध्यम से सुविधा प्रदान करने के लिए

सभी प्रयास कर सकती है और गैर सरकारी संगठनों की प्रभावी निगरानी के लिए उचित डेटाबेस तैयार कर सकती है ।

अध्याय-V: वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण

विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए राज्य में विशेष योग्यजन के लिए चलाई जा रही योजनाओं में बजटीय निधियों का उपयोग अपर्याप्त पाया गया । निदेशालय, विशेष योग्यजन का जिला या निचले स्तर पर कोई समर्पित कर्मचारी नहीं था, हालांकि विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए केंद्रित हस्तक्षेप के लिए अक्टूबर 2011 में विशेष योग्यजनों के लिए एक अलग निदेशालय की स्थापना की गई थी ।

जिला अधिकारियों ने गैर सरकारी संगठन का तिमाही/मासिक निरीक्षण नहीं किया बल्कि निदेशालय, विशेष योग्यजन को अनुदान जारी करने के लिए सिफारिश करते समय अर्धवार्षिक आधार पर निरीक्षण किया गया ।

अनुशंसाएँ

10. राज्य सरकार अधिनियम और योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला/खण्ड स्तर पर पर्याप्त मानव संसाधन के साथ अलग विशेष योग्यजन कार्यालय स्थापित कर सकती है |

11. राज्य सरकार अधिनियम में परिकल्पित मजबूत संस्थागत तंत्र और समय पर सटीक जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करके प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित कर सकती है |